बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 142271 पटना, दिनांक 14/03/2013

ग्रा0वि06 (SGSY/NRLM)10/12

प्रेषक,

अजय कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- **मांग संख्या- 42 के तहत स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत/एन0 आर0 एल0 एम0 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (NRLM) के कार्यान्वयन हेतु समान्य मद में विमुक्त प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि रू0- 6912.50 लाख (उनहतर करोड़ बारह लाख पच्चास हजार) के विरूद्ध देय अनुपातिक सहायक अनुदान की राशि के रूप में कुल रू0- 2304.16 लाख (तेईस करोड़ चार लाख सोलह हजार) की राशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-132424 दि0-13.12.2012 एवं स्वीकृत्यादेश सं0-140115 दिनांक-26.02.13

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/ एन0 आर0 एल0 एम0 के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (NRLM) के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-L.13014/02/2011-Aajeevika(FTS-17494) दिनांक-30.12.12 द्वारा समान्य मद में विमुक्त प्रथम किस्त केन्द्रांश की राशि रू0- 6912.50 लाख (उनहतर करोड़ बारह लाख पच्चास हजार) के विरूद्ध देय अनुपातिक सहायक अनुदान की राशि के रूप में कुल रू0- 2304.16 लाख (तेईस करोड़ चार लाख सोलह हजार) की राशि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन की जाती है ।

2) राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-132424 दिनांक- 13.12.2012 एवं स्वीकृत्यादेश सं0-140115 दिनांक'- 26.02.13 द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है।

3) आवंटित राशि मुख्य शीर्ष-2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष-0101-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, विपत्र कोड-पी02501061010101, विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान बेतनादि के अलावे के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकलनीय है।

4) आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना से वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8593वि(2) दि0-27.11.07 में निहित प्रावधान के अंतर्गत की जायेगी ।

5) ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-3873 दि0-12.04.06 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संदर्भ में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561वि0(2) दिनांक-17.04.98 की कंडिका-2 में निहित प्रावधानों को प्रभावहीन किया गया है । राशि का व्यय वित्त विभाग परिपत्र संख्या-2561वि0(2) दिनांक-17.04.98 में निहित निदेश के आलोक में व्यय की जायेगी ।

14.3.13

(6) अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (NRLM) के कार्यान्वयन हेतु आवंटित राशि की निकासी कर SRLM हेतु खोले गये बैंक खाता संख्या-8531101010676 केनरा बैंक, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना में जमा करेंगे ।

(7) SRLM द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, महालेखाकार, बिहार, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(8) इसकी सूचना महालेखाकार (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

14.3.13

(अजय कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 142271 पटना, दिनांक 14/03/2013

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14.3.13
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 142271 पटना, दिनांक 14/03/2013

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14.3.13
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 142271 पटना, दिनांक 14/03/2013

प्रतिलिपि- श्रीमती नीता केजरीवाल, निदेशक (आजीविका), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन-सह-आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना/श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी सांख्यिकी सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) एवं प्रशाखा-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-6 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

14.3.13
सरकार के संयुक्त सचिव